

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट- /2017/

दिनांक:

—आदेश—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ. 14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:—

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/ च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	राजेन्द्र कुमार मीणा, नर्स प्रथम	जयपुर प्रथम	22.03.99	22.03.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
2.	मोहम्मद याकूब खान, नर्स द्वितीय	जयपुर प्रथम	11.08.87	11.08.14 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	रोसग्गा टी.जे., नर्स प्रथम	कोटा	10.12.88	10.12.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
4.	वाचाराग, नर्स प्रथम	धौलपुर	02.11.89	02.11.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	अशोक कुमार सोलंकी, नर्स प्रथम	जालोर	09.03.88	09.03.15 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	विनोद कुमार दवे, नर्स प्रथम	जालोर	18.09.89	18.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	मोहम्मद नजीर, नर्स प्रथम	जालोर	18.09.89	18.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	ताराचन्द चौहान, नर्स प्रथम	जोधपुर	19.01.85	19.01.12 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	संतोष निर्गेश, नर्स प्रथम	जोधपुर	11.01.90	11.01.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	अरुण कुमार सोनी, नर्स प्रथम	अलवर	27.06.89	27.06.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
11.	विरेंद्र सिंह यादव, नर्स प्रथम	अलवर	04.07.89	04.07.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	जवाहर सिंह, नर्स प्रथम	अलवर	13.09.89	13.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
13.	प्रकाश चंद कैलागी, नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	04.11.88	04.11.15 27 वर्ष	15600-39100	6000
14.	प्रमोद कुमार मांडन, नर्स प्रथम	जयपुर	25.01.85	25.01.12 27 वर्ष	9300-34800	4800
15.	ब्लेसी एलियास, नर्सिंग ट्यूटर	जोधपुर	16.03.99	16.03.2017 18 वर्ष	9300-34800	5400
16.	इन्दल सिंह, नर्स प्रथम	भरतपुर	27.06.89	27.06.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
17.	उषा बोहरा, नर्स प्रथम	जोधपुर	18.09.89	18.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
18.	रमेश चन्द गुप्ता, नर्स प्रथम	कोटा	22.07.89	22.07.16 27 वर्ष	15600-39100	6000

क्रम संख्या 3 पर अंकित रोसग्गा टी.जे., नर्स प्रथम के उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6(16)चिकिस्वा./ग्रुप-3/2009 दिनांक 09.09.2010 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण एसीपी का लाभ वर्ष 2015 के स्थान पर वर्ष 2016 में दिया गया है।

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

Sd —
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-I/2017/404

दिनांक: 02-08-2017

प्रतिलिपि गिम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, जे.के. लोन, कोटा/उम्मेद अस्पताल, जोधपुर/सवाई मानसिंह चिकि0, जयपुर/संलग्न चिकित्सालय समूह जोधपुर/नवीन चिकित्सालय, कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/धौलपुर/जालोर/अलवर/भीलवाड़ा/कोटा/भरतपुर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जमवाराभगढ़/शाहपुरा जयपुर/राजाखेड़ा धौलपुर/जालोर, चितलवाना, रानीवाड़ा (जालोर)/शाहजहांपुर, तिजारा (अलवर)/कोटड़ी भिलवाड़ा/लाडपुरा कोटा।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर